

अध्याय- I

राज्य सरकार के वित्त

उत्तराखण्ड का विवरण

उत्तराखण्ड अपने कठिन भू-भाग के कारण एक विशेष श्रेणी राज्य है, जो पैतृक रूप से आधारभूत संरचना एवं विनियम लागतों की कमी और अपेक्षाकृत उच्चतर शासकीय लागत के कारण भी जाना जाता है। उत्तराखण्ड को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा राज्य के सृजन के समय प्राप्त वित्तीय भार, कमजोर आर्थिक आधार, पिछड़ेपन तथा कठिन भौगोलिक विशेषताओं वाले सीमांत राज्य के कारण दिया गया था। उत्तराखण्ड को प्राप्त विशेषाधिकारों में भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी सम्मिलित है जिसको 90 प्रतिशत अनुदान एवं 10 प्रतिशत ऋण का अनुपात होता है जो अविशेष श्रेणी राज्यों से भिन्न है जिन्हें 70 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता एवं 30 प्रतिशत ऋण के अनुपात में केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती है।

इसके बावजूद, राज्य ने बीते दशक में उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि देखी तथा वर्ष 2001-02 से 2010-11 तक की अवधि के लिए अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद¹ (स रा घ उ) का चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 20.98 प्रतिशत से अधिक प्राप्त हुई थी। यह वृद्धि हिमाचल प्रदेश, जो एक विशेष श्रेणी राज्य होने के कारण कई मामलों में उत्तराखण्ड से तुलनीय है, के स रा घ उ वृद्धि की तुलना में काफी अधिक है। यद्यपि हिमाचल प्रदेश की तुलना में उत्तराखण्ड में काफी उच्चतर गरीबी स्तर, निम्न साक्षरता स्तर और उच्चतर जनसंख्या वृद्धि दर है (*परिशिष्ट-1*)

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (वर्ष 2000 का अधिनियम संख्या 29) के अनुसार, 84,79,562 की जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को नवीन उत्तराखण्ड राज्य के लिए 9 नवम्बर 2000 की गठन तिथि से स्थानान्तरित किया गया था। यह अध्याय, चालू वर्ष के दौरान उत्तराखण्ड सरकार के वित्त का एक विस्तृत परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा विगत पांच वर्षों के समस्त रुझान के दृष्टिगत, गत वर्ष से सम्बन्धित प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। राज्य सरकार के मुख्य राजकोषीय घटकों में बृहद परिवर्तन, वर्ष 2009-10 के दौरान राजस्व आधिक्य का घाटे में परिवर्तित हो जाना था जो चालू वर्ष में लगभग शून्य (₹ 13 करोड़) हो गया। इस परिवर्तन से राजकोषीय घाटा तर्कसंगत सीमा तक एवं स रा घ उ के लगभग 3.5 प्रतिशत तक आ गया।

1.1 चालू वर्ष के राजकोषीय लेनदेन का सार

तालिका-1.1 गत वर्ष (2009-10) के सापेक्ष चालू वर्ष (2010-11) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेनदेन का सार प्रस्तुत करती है जबकि *परिशिष्ट-1.4* गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों के विवरण उपलब्ध कराता है।

¹ *परिशिष्ट-4.1* की शब्दावली का संदर्भ लें।

तालिका-1.1 चालू वित्तीय वर्ष के राजकोषीय संचालनों का सारांश

(₹ करोड़ में)

2009-10	प्राप्तियां	2010-11	2009-10	संवितरण	2010-11		
भाग-अ: राजस्व					आयोजनेतर	आयोजनागत	योग
9,486.13	राजस्व प्राप्तियां	11,608.16	10,657.47	राजस्व व्यय	9,148.57	2,472.50	11,621.07
3,559.04	कर राजस्व	4,405.47	3,694.34	सामान्य सेवाएं	4,159.52	20.63	4,180.15
631.86	करेतर राजस्व	678.06	4,980.28	सामाजिक सेवाएं	3,445.70	1,723.79	5,169.49
1,550.01	संघीय करों/शुल्कों का अंश	2,460.07	1,658.12	आर्थिक सेवाएं	1,135.68	728.07	1,863.75
3,745.22	भारत सरकार से अनुदान	4,064.56	3,24.73	सहायता अनुदान और अंशदान	407.67	0.01	407.68
भाग -ब: पूँजीगत							
-	विविध पूँजीगत प्राप्तियां	-	1,646.73	पूँजीगत परिव्यय	(-) 3.68	1,858.52	1,854.84
64.83	ऋण एवं अग्रिम वसूतियां	84.87	30.06	संवितरित ऋण एवं अग्रिम			59.68
1,682.57	लोक ऋण प्राप्तियां*	2,427.18	472.87	लोक ऋणों की चुकोतियाँ*			519.36
--	--	--	--	आकस्मिकता निधि को विनियोग			515.00
37.05	आकस्मिकता निधि	581.62	71.42	आकस्मिकता निधि			536.71
14,225.75	लोक लेखा प्राप्तियां	18,703.51	12,321.83	लोक लेखा संवितरण			17,608.18
242.96	प्रारम्भिक रोकड़ शेष	538.91	538.91	अंतिम रोकड़ शेष			1,229.41
	योग	33,944.25	25,739.29	योग			33,944.25

* इसमें अर्थापाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के अधीन निवल लेनदेन शामिल नहीं हैं।


इस प्रकार यह विदित होगा कि:

- राजस्व प्राप्तियों में गत वर्ष के सापेक्ष ₹ 2,122 करोड़ (22.37 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः केन्द्रीय अन्तरण (₹ 910 करोड़), राज्य के अपने कर राजस्व (₹ 846 करोड़) तथा सहायता अनुदान (₹ 319 करोड़) में बढ़ोतरी के कारण थी।
- वर्ष के दौरान राजस्व व्यय में ₹ 963.60 करोड़ (9.04 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में गत वर्ष से ₹ 208 करोड़ (12.64 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जैसा कि अनुवर्ती प्रस्तर 1.4.1 में वर्णित है।
- ऋण एवं अग्रिमों की वसूली ₹ 65 करोड़ (2009-10) से बढ़कर ₹ 85 करोड़ (30.77 प्रतिशत) हो गयी। वर्ष के दौरान ऋण एवं अग्रिमों का वितरण ₹ 30 करोड़ से बढ़कर ₹ 60 करोड़ हो गया जो मुख्यतः ऊर्जा क्षेत्र को अधिक वितरण के कारण हुआ।

- वर्ष 2010-11 के दौरान लोक ऋण प्राप्ति में ₹ 745 करोड़ की वृद्धि दर्ज हुई जो मुख्य रूप से ब्याजयुक्त बाजार ऋणों (₹ 386 करोड़) व राष्ट्रीय लघु बचत निधि (₹ 298 करोड़) के अन्तर्गत अतिरिक्त उधार के कारण थी। वर्ष के दौरान लोक ऋण की चुकौती भी गत वर्ष से ₹ 46 करोड़ बढ़ गई।
- उच्च एवं विविध (₹ 2,073 करोड़), जमा एवं अग्रिम (₹ 241 करोड़), प्रेषण (₹ 2,112 करोड़) तथा आरक्षित निधि (₹ 101 करोड़) के अन्तर्गत वृद्धि के कारण वर्ष 2010-11 में लोक लेखा प्राप्ति में ₹ 4,478 करोड़ बढ़ गई। यह लघु बचत, भविष्य निधि आदि (₹ 49 करोड़) में ह्रास से प्रतिसंतुलित हुई। उच्च एवं विविध (₹ 2,512 करोड़), प्रेषण (₹ 2,286 करोड़), जमा एवं अग्रिम (₹ 425 करोड़) तथा लघु बचत (₹ 147 करोड़) में वृद्धि के कारण लोक लेखा संवितरण ₹ 5,286 करोड़ बढ़ गया जो आरक्षित निधियों (₹ 83 करोड़) में ह्रास से प्रतिसंतुलित हुआ।
- वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2010-11 के अन्त में राज्य का रोकड़ शेष ₹ 690.50 करोड़ बढ़ गया।

वर्ष 2009-10 में ₹ 1,171 करोड़ के राजस्व घाटे के अनुभव के पश्चात् राज्य सरकार वर्ष 2010-11 के दौरान राजस्व घाटे को लगभग शून्य (₹ 13 करोड़) तक नीचे लाने में कामयाब हो गयी। इसके अतिरिक्त राजकोषीय घाटा भी वर्ष 2009-10 के ₹ 2,783 करोड़ से घटकर ₹ 1,843 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.53 प्रतिशत) हो गया जिससे राजकोषीय आमेलन सार्थक हुआ।

बजट आकलनों के वास्तविक वसूलियों/व्यय से विचलन के अनेक कारण हो सकते हैं। यह बजट बनाने के अवसर पर घटनाओं का पूर्वाभ्यास या अनुमान न होना अथवा व्यय या राजस्व का कम/अधिक आंकलन के कारण हो सकता है। यद्यपि, राजस्व की वास्तविक वसूली एवं इसका संवितरण, विविध कारकों कुछ आन्तरिक और शेष बाह्य, पर आधारित होता है। चार्ट 1.1 कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मापदण्डों हेतु बजट आकलन (व आ) एवं वास्तविक आंकड़े प्रस्तुत करता है।





2010-11 के दौरान, विभिन्न घटकों के सम्बन्ध में बजट आकलनों के सापेक्ष वास्तविक की तुलना ने मिश्रित रूझान को दर्शाया:

- सहायता अनुदान के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति (13 प्रतिशत) के कारण समग्र राजस्व प्राप्ति 5 प्रतिशत कम थी। यद्यपि चालू वर्ष के बजट आकलनों के प्रति करेतर राजस्व 39 प्रतिशत कम था लेकिन राज्य का कर राजस्व बजट आकलनों के सापेक्ष 7.5 प्रतिशत अधिक था।
- राजस्व व्यय इस वर्ष के बजट आकलनों से 3 प्रतिशत कम था।
- सिंचाई एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों के अन्तर्गत कम संवितरण के कारण पूँजीगत शीर्ष के अन्तर्गत व्यय 7.5 प्रतिशत तक अप्रयुक्त रहा।
- राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे तथा प्रारम्भिक घाटे के लिये वर्ष 2010-11 के दौरान बजट अनुमान भी प्राप्त नहीं हुए (चार्ट-1.1)। राज्य सरकार ने अपने मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण में प्रक्षिप्त लक्ष्यों की अप्राप्ति का कारण अर्थव्यवस्था में मन्दी से सम्बद्ध किया लेकिन तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राजकोषीय समेकन को लक्ष्य बनाते हुए राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2011 से आरंभ होने वाले वर्षों में आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाते हुए राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे व प्राथमिक घाटे के लक्ष्य प्रक्षिप्त किए।

1.2 राज्य के संसाधन

1.2.1 वार्षिक वित्त लेखों के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व और पूँजी, प्राप्ति की दो धाराएं हैं जो राज्य सरकार के संसाधनों को गठित करती हैं। राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व, करेतर राजस्व, संघीय कर एवं शुल्कों में राज्य का अंश तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान सम्मिलित हैं। पूँजीगत प्राप्ति में विविध पूँजीगत राजस्व प्राप्ति, जैसे विनिवेशों से उत्पन्न आय, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आन्तरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से लिया गया ऋण) से ऋण की प्राप्ति तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, साथ ही लोक लेखे से उपार्जन सम्मिलित है। तालिका 1.1 चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्ति एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती है जैसा इसके वार्षिक वित्तीय लेखे (परिशिष्ट-1.1) में अभिलेखित है; जबकि चार्ट 1.2, वर्ष 2006-11 के दौरान राज्य की प्राप्ति के विभिन्न घटकों की प्रवृत्तियों का चित्रण करता है। चार्ट 1.3 चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों के संघटनों को चित्रित करता है।



वर्ष 2006-07 में सरकार की ₹ 19,855 करोड़ की कुल प्राप्तियां बढ़कर वर्ष 2010-11 में ₹ 32,824 करोड़ (65 प्रतिशत) हो गयी। वर्ष 2010-11 की ₹ 32,824 करोड़ की प्राप्तियों में से 57 प्रतिशत प्राप्तियां लोका लेखे से थी जबकि कुल प्राप्तियों का 35 प्रतिशत व 8 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियों व उधारों से आया।

हालांकि, गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष राज्य की राजस्व प्राप्तियां 22 प्रतिशत बढ़ गई लेकिन राज्य की प्राप्तियों की संरचना में इसने अल्पवृद्धि दर्शित हुई। यद्यपि, इस वर्ष ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली ने गत वर्ष की तुलना में पूँजीगत प्राप्तियों (तालिका-1.1 में संदर्भित) पर 31 प्रतिशत वृद्धि दर्शाई।

लोक लेखा प्राप्तियों में प्रवृत्तियां

- लघु बचत, भविष्य निधि आदि के अन्तर्गत प्राप्तियां, विगत वर्ष की तुलना में ₹ 49 करोड़ घट गई जिसका भविष्य निधि में कम प्राप्तियों के कारण थी।
- गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान आरक्षित निधियां ₹ 101 करोड़ बढ़ गईं। जमा व अग्रिम में ₹ 241 करोड़ की वृद्धि हुई। आन्तरिक ऋण के परिशोधन हेतु शोधन निधि में राज्य सरकार का निवेश (₹ 125 करोड़) एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत निर्धारित मानकीय आंकड़ों (गत वर्ष की समाप्ति पर बकाया मुक्त बाजार ऋणों का 3 प्रतिशत ₹ 190 करोड़) से कम था, परिणामस्वरूप आरक्षित निधियों के अन्तर्गत प्राप्तियों में ₹ 65 करोड़ की कमी हुई।
- उच्चत एवं विविध प्राप्तियां वर्ष के दौरान मुख्यतः चेकों एवं दैयकों हेतु उच्चत शीर्ष के अन्तर्गत हुई वृद्धि के कारण 22 प्रतिशत तक बढ़ गई थी। यह उच्चत शीर्ष, चेकों के जारी करते समय जमा दिखाया जाता है तथा चेकों के नकदीकरण के बारे में बैंक से सूचना की प्राप्ति पर उसे समाशोधित किया जाता है।

1.2.2 राज्य के बजट से इतर राज्य के कार्यान्वयन अभिकरणों को अन्तरित निधियां

केन्द्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माने गये सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राज्य के कार्यान्वयन अभिकरणों² को सीधे प्रयुक्त मात्रा में निधियों का अन्तरित की गई। ये निधियाँ, राज्य बजट/राज्य कोषागार तन्त्र के माध्यम से प्राप्त नहीं हुई, अतः उस सीमा तक राज्य की प्राप्तियां एवं व्यय तथा उनसे व्युत्पन्न अन्य राजकोषीय आंकड़े/मापदण्ड अधो-आंकलित रहे। समुच्चय संसाधनों की उपलब्धता पर एक निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करने के लिए, राज्य के कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे तौर पर अन्तरित निधियां परिशिष्ट-1.5 में दर्शायी गयी हैं। बृहद कार्यक्रमों/योजनाओं को अन्तरित महत्वपूर्ण धनराशि तालिका 1.2 में दर्शायी गई है।

तालिका-1.2 : राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तान्तरित निधियों की महत्वपूर्ण धनराशियाँ

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	योजना के कार्यक्रम का नाम	कार्यान्वयन अभिकरण का नाम	वर्ष 2010-11 के दौरान भारत सरकार द्वारा अवमुक्त कुल निधियाँ
1.	स्वायत्त संस्थाएँ व व्यावसायिक निकाय	आर्य भट्ट रिसर्च इन्स्टीच्यूट ऑफ ओब्जरवेशनल साइन्सेज	53.01
2.	एकीकृत जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम	सी.जी.ओ.- निदेशक देहरादून, उत्तराखण्ड में डी.आर.डी.ए. परियोजना निदेशक	46.63
3.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	उत्तराखण्ड स्वास्थ्य व परिवार कल्याण समितियाँ	96.50

² परिशिष्ट 4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।



4.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	एस.जी.ओ. उत्तराखण्ड देहरादून	240.26
5.	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना	उत्तराखण्ड में डी.आर.डी.ए. परियोजना निदेशक	289.81
6.	सर्व शिक्षा अभियान	उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद	258.83
7.	ग्रामीण आवास- इन्दिरा आवास योजना	परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए.	53.21
8.	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए.	24.43
9.	गन्तव्यों व सर्किटों का मूलाधार विकास /उत्पाद	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास बोर्ड	41.69
10.	राष्ट्रीय जल संरक्षण योजना	आई.आई.टी. रुड़की	33.41
11.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान(रमसा)	उत्तराखण्ड सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद	76.02
12.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम	एस.डब्ल्यू.एस.एम. उत्तराखण्ड, देहरादून	136.41
13.	वन व वन्य प्राणी संस्थाओं को सहायता अनुदान	वन अनुसंधान संस्थान (आई.सी.एफ.आर. ऐण्ड ए.)	122.10
14.	आई.आई.टी. डी.एच.ई.	आई.आई.टी., रुड़की	111.00
योग			1,583.31

स्रोत: कन्ट्रोल जनरल ऑफ एकाउन्ट्स वेबसाइट का सेण्ट्रल प्लान योजना मानिटिरिंग सिस्टम

तालिका 1.2 सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के अधीन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार के विविध मंत्रालयों से उत्तराखण्ड में विभिन्न अभिकरणों द्वारा सीधे प्राप्त महत्वपूर्ण राशियों की निधियों को दर्शाती है। वर्ष 2010-11 के दौरान इन निधियों का अधिकांश अंश प्राप्त करने वाले कार्यक्रम (i) महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना- ₹ 289.81 करोड़ (15.11 प्रतिशत), (ii) सर्व शिक्षा अभियान- ₹ 258.83 करोड़ (13.50 प्रतिशत), (iii) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- ₹ 240.26 करोड़ (12.51 प्रतिशत), (iv) राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम ₹ 136.41 करोड़ (7.11 प्रतिशत) व (v) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ₹ 96.50 करोड़ (5.03 प्रतिशत) थे। इस प्रकार, वर्ष 2010-11 के दौरान भारत सरकार द्वारा राज्य के कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे ₹ 1,918 करोड़ (परिशिष्ट-1.5) के अन्तरण से, राज्य संसाधनों की कुल उपलब्धता ₹ 32,824 करोड़ से बढ़कर ₹ 34,742 करोड़ हो गयी। उपरोक्त से स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार द्वारा सीधे अन्तरित निधियों के अनुश्रवण हेतु कोई एक अभिकरण एवं तत्काल रूप से कोई तैयार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिससे ज्ञात हो कि किसी विशेष वर्ष में प्रमुख झण्डारोही योजनाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं जिन्हें राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है व भारत सरकार द्वारा सीधे वित्तपोषित हैं पर वास्तविक रूप से कितना व्यय किया गया है।

1.3 राजस्व प्राप्तियां

वित्त लेखे की विवरणी-11, सरकार की राजस्व प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करती है। राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर एवं करेतर राजस्व, केन्द्रीय कर अन्तरण तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान सम्मिलित है। वर्ष 2006-07 से 2010-11 की अवधि की राजस्व प्राप्तियों की संरचना और प्रवृत्तियों को परिशिष्ट-1.3 में प्रस्तुत किया गया है तथा क्रमशः चार्ट 1.4 तथा 1.5 में भी चित्रित किया गया है।



राजस्व प्राप्तियों ने 2006-07 से 2010-11 की अवधि में निरंतर वृद्धि दर्शाई। यह 16 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के साथ वर्ष 2006-07 में ₹ 7,373 करोड़ से वर्ष 2010-11 में ₹ 11,608 करोड़ हो गयी।

केन्द्रीय कर अन्तरणों एवं सहायता अनुदान के समुच्चय का कुल राजस्व में 56 प्रतिशत योगदान रहा जबकि वर्ष 2010-11 के दौरान 44 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियाँ राज्य के निजी कर एवं करेतर राजस्व से हुईं।

वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक की अवधि में राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 43 प्रतिशत औसतन योगदान स्वयं राज्य की निजी कर प्राप्तियों का रहा (चार्ट 1.5)। इससे भारत सरकार से सहायता अनुदान पर राज्य की निरन्तर निर्भरता प्रदर्शित हुई क्योंकि राज्य अपने कर-आधार को विस्तृत करने में अक्षम रहा।

जी एस डी पी के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को निम्न तालिका-1.3 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका-1.3: जी एस डी पी के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
राजस्व प्राप्तियाँ (रा. प्रा.) (₹ करोड़ में)	7,373	7,891	8,635	9,486	11,608
रा प्रा की वृद्धि दर (प्रतिशत)	33.16	7.03	9.43	9.86	22.37
रा प्रा / जी एस डी पी (प्रतिशत)	22.85	20.76	20.16	19.84	22.26
उत्प्लावकता अनुपात ³					
जी एस डी पी के संदर्भ में राजस्व की उत्प्लावकता	2.35	0.39	0.74	0.85	2.47
जी एस डी पी के संदर्भ में राज्य के स्वयं के करों की उत्प्लावकता	2.11	0.44	0.78	1.03	2.35

वर्ष 2006-07 से वर्ष 2010-11 की अवधि की राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दिखाई दी। वर्ष 2006-07 के दौरान वृद्धि दर ऊँची थी किन्तु वर्ष 2007-08 एवं आगे स्थिर रही तथा वर्ष 2010-11 के दौरान 22.37 प्रतिशत रही। जी एस डी पी के संदर्भ में राज्य के निजी करों की उत्प्लावकता वर्ष 2006-07 में 2.11 थी किन्तु वर्ष 2007-08 तथा वर्ष 2008-09 में यह एक से नीचे रही तथा इसने फिर वर्ष 2009-10 में गति पकड़ी और 1.03 रही तथापि इस वर्ष राज्य के निजी कर की उत्प्लावकता पिछले तीन वर्षों की तुलना में अधिक प्रदर्शित हुई जो जी एस डी पी में वृद्धि के सापेक्ष बेहतर कर राजस्व उगाही को दर्शाती थी। प्रति एक प्रतिशत जी एस डी पी वृद्धि में, राज्य के निजी कर वर्ष 2010-11 में 2.35 प्रतिशत तक बढ़ी।

1.3.1 राज्य के अपने संसाधन

चूंकि केन्द्रीय करों तथा सहायता अनुदान में राज्य के अंश का निर्धारण वित्त आयोग की संस्तुतियों, केन्द्रीय कर प्राप्तियों के संग्रहण तथा आयोजनागत योजनाओं आदि हेतु प्राप्त केन्द्रीय सहायता के आधार पर किया जाता है, अतः अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में राज्य के निष्पादन का निर्धारण इसके अपने स्रोतों के संदर्भ में किया जाना चाहिए जिसमें निजी कर एवं करेतर स्रोतों से प्राप्त राजस्व समाविष्ट हैं।

³ परिशिष्ट 4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

कर राजस्व

कर राजस्व वर्ष 2009-10 के ₹ 3,559 करोड़ से 24 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2010-11 में ₹ 4,405 करोड़ हो गया। बिक्री कर से प्राप्त राजस्व ने न केवल कर राजस्व के एक बड़े अंश (67 प्रतिशत) के रूप में योगदान दिया अपितु गत वर्ष की तुलना में 31 प्रतिशत की वृद्धि भी दर्ज की।

राज्य कर राजस्व ने (राजस्व प्राप्ति का प्रमुख अंशदाता होने के नाते) वर्ष 2005 में मूल्य वर्धित कर (वैट) को लागू होने के पश्चात् 2006-07 के दौरान राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत 33.16 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह वृद्धि दर वर्ष 2007-08 में सात प्रतिशत तक घट गई और 9 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत तक क्रमशः वर्ष 2008-09 तथा वर्ष 2009-10 में क्रमिक रूप से बढ़ी। चालू वर्ष के दौरान इसमें गत वर्ष की तुलना में 22.37 प्रतिशत की सार्थक वृद्धि हुई।

करेतर राजस्व

करेतर राजस्व जो वर्ष 2006-08 में कमोबेश स्थिर रहा था तथा वर्ष 2008-09 में इसमें थोड़ा सा सुधार दृष्टिगत हुआ पर पुनः वर्ष 2009-10 में कम (10 प्रतिशत) हो गया तथापि वर्ष 2009-10 के गत वर्ष की तुलना में करेतर राजस्व चालू वर्ष के दौरान पुनः बढ़कर 7.28 प्रतिशत हो गया। करेतर राजस्व ₹ 678 करोड़ रहते हुये, राजस्व प्राप्ति का 5.84 प्रतिशत था। वर्ष 2010-11 के दौरान करेतर राजस्व के प्रमुख अंशदाताओं में वानिकी एवं वन्य जीव (₹ 229 करोड़), अलौह एवं धातुकर्म उद्योग (₹ 93 करोड़) एवं ब्याज प्राप्ति (₹ 54 करोड़) सम्मिलित थे। वर्ष 2006-07 से वर्ष 2010-11 की अवधि में करेतर राजस्व में ब्याज प्राप्ति का औसत योगदान 7.80 प्रतिशत था।

राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय सुधार पथ (एफ सी पी) में किये गये अनुमान, कर राजस्व के संदर्भ में प्राप्त कर लिये गये थे किन्तु करेतर राजस्व के अन्तर्गत लक्ष्य से ₹ 437 करोड़ कम थे जैसा कि तालिका 1.4 में नीचे प्रदर्शित है:

तालिका-1.4: वास्तविक आंकड़ों के सापेक्ष अनुमान/निर्धारण की तुलना

(₹ करोड़ में)

	तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किया गया निर्धारण	एफ सी पी में राज्य सरकार द्वारा किया गया निर्धारण	वास्तविक आंकड़े
	(1)	(2)	(3)
कर राजस्व	4,317	4,326	4,405
करेतर राजस्व	834	1,115	678

स्रोत: तेरहवें वित्त आयोग की प्रतिवेदन, वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन (उत्तराखण्ड शासन) व वित्त लेखे

तेरहवें वित्त आयोग (ते. वि. आ.) द्वारा अनुमानों की तुलना में राज्य के अपने संसाधन से यह प्रकट किया कि वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 4,405 करोड़ का कर राजस्व, वर्ष हेतु ते वि आ द्वारा किये गये ₹ 4,317 करोड़ के मानकीय निर्धारण को पार कर गया जबकि ₹ 678 करोड़ का करेतर राजस्व, ते वि आ के अनुमानों की तुलना में ₹ 156 करोड़ कम था।

केन्द्रीय कर अन्तरण

संघीय करों तथा शुल्कों के राज्यांश के रूप की प्राप्ति, 2009-10 के ₹ 1,550 करोड़ से 59 प्रतिशत बढ़कर 2010-11 में ₹ 2,460 करोड़ हो गयी थी। केन्द्रीय अन्तरण में समग्र वृद्धि (₹ 910 करोड़), मुख्यतः निगम कर (₹ 324 करोड़), निगम कर से भिन्न आय पर कर (₹ 153 करोड़), व सीमा एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर कर (₹ 351 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई।

सहायता अनुदान

वर्ष 2007-08 को छोड़कर वर्ष 2006-07 से वर्ष 2010-11 (चार्ट 1.5) की अवधि में भारत सरकार से सहायता अनुदान में लगातार वृद्धि दर्शायी गई। यह वर्ष 2006-07 में ₹ 3,081 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010-11 में ₹ 4,065 करोड़ हो गया। चालू वर्ष के दौरान यह वृद्धि (₹ 320 करोड़) मुख्यतः भारत सरकार द्वारा आयोजनेतर अनुदानों (₹ 252 करोड़), केन्द्र पोषित योजनागत योजनाएँ हेतु अनुदानों (₹ 140 करोड़) के अन्तर्गत अतिरिक्त अनुदानों के अवमुक्त किए जाने के कारण थी, जो राज्य योजनागत योजनाएँ हेतु अनुदान (₹ 82 करोड़) में कटौती से प्रतिसंतुलित हुई।

1.3.2 कर अपवंचन, बट्टे खाते डालने/छूट व वापसियों के कारण राजस्व की हानि

वाणिज्य कर विभाग द्वारा पता लगाये गये कर अपवंचन के प्रकरणों के विवरण, वर्ष 2010-11 में निपटाये गये प्रकरण और अतिरिक्त करों की माँग जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया, से इंगित है कि वर्ष 2010-11 के दौरान 2,999 प्रकरणों का विभाग द्वारा पता लगाया गया था। इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2010 को 2,308 प्रकरण बकाया थे। जबकि यह भी गौर किया गया कि वित्तीय वर्ष 2010-11 के अंत में 1,493 अपवंचन के प्रकरणों, जिसमें कार्यवाही प्रतीक्षित है, को छोड़कर विभाग ने ₹ 7.73 करोड़ के अर्थ दण्ड सहित 3,814 प्रकरणों के लिए अतिरिक्त माँग उठायी थी। इन प्रकरणों को निपटाने हेतु शीघ्र कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है।

1.3.3 राजस्व बकाया

वर्ष 2010-11 के अन्त तक राजस्व बकाया (वन राजस्व को छोड़कर) ₹ 1,249.80 करोड़ था जिसमें ₹ 254.99 करोड़ (20.40 प्रतिशत) के बकाए पांच वर्षों से अधिक वर्षों के थे।

राजस्व बकाये का विभाग-वार विवरण निम्न तालिका 1.5 में प्रदर्शित है

तालिका-1.5: राजस्व बकाये का विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	31 मार्च 2011 को बकाया राशि	31 मार्च 2011 को 5 वर्षों से अधिक की बकाया
वाणिज्य कर वैट	881.07	249.90
वाहन कर	4.43	2.06
राज्य आबकारी	0.48	0.48
विद्युत कर व शुल्क	352.61	-
लोक निर्माण विभाग	1.73	0.86
मनोरंजन कर	0.63	0.04
गन्ना क्रय पर कर	5.25	-
भू-राजस्व	0.38	0.01
स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण	3.22	1.64
योग	1,249.80	254.99

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (उत्तराखण्ड) कार्यालय के एस आर.ए.संभाग द्वारा प्रदत्त ब्यौरे


लगभग 71 प्रतिशत राजस्व बकाया बिक्री, व्यापार आदि पर कर/वैट के कारण था। ₹ 881.07 करोड़ में से ₹ 208.46 करोड़ हेतु वसूली प्रमाणपत्र जारी कर लिए गए थे तथा ₹ 97.11 करोड़ के प्रकरण न्यायाधीन थे। ₹ 352.61 करोड़ उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास बकाया थे।

1.4 संसाधनों का उपयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के आवंटन का विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्रमुख व्यय दायित्व राज्य सरकार के सुपुर्द होते हैं। राजकोषीय दायित्व विधायन के ढांचे के अन्तर्गत, घाटे अथवा उधार द्वारा वित्तपोषित लोक व्यय को बढ़ाने में बजटीय अवरोध होते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर चालू राजकोषीय सुधार और दृढीकरण प्रक्रिया विशेषकर विकासपरक और सामाजिक क्षेत्रों की ओर उन्मुख व्यय की कीमत पर न हो। व्यय के आवंटन के विश्लेषण पर चर्चा नीचे की गई है:

1.4.1 व्यय की रचना एवं वृद्धि

चार्ट 1.6 पांच वर्षों (2006-07 से 2010-11) की अवधि में कुल व्यय की रचना को दर्शाता है तथा इनकी संरचना को 'आर्थिक वर्गीकरण' एवं 'क्रियाकलापबद्ध व्यय' दोनों के सन्दर्भ में क्रमशः चार्ट 1.7 एवं 1.8 में चित्रित किया गया है।





राज्य का कुल व्यय वर्ष 2006-11 के दौरान 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत दर से बढ़ा। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2010-11 के दौरान कुल व्यय में ₹ 1,202 करोड़ (10 प्रतिशत) की बढ़ोतरी राजस्व व्यय व पूँजीगत व्यय में क्रमशः ₹ 964 करोड़ व ₹ 208 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई। ऋण व अग्रिमों का संवितरण भी ₹ 30 करोड़ बढ़ गया।

राजस्व व्यय- चालू वर्ष के दौरान राजस्व व्यय में वृद्धि (i) सामान्य सेवाएँ (₹ 486 करोड़), (ii) सामाजिक सेवाएँ (₹ 189 करोड़), (iii) आर्थिक सेवाएँ (₹ 206 करोड़) व सहायता अनुदान एवं अंशदान (₹ 83 करोड़) के व्यय में वृद्धि के कारण थी।

पूँजीगत व्यय भी वर्ष के दौरान (i) सामाजिक सेवाएँ (₹ 126 करोड़) तथा (ii) आर्थिक सेवाएँ (₹ 86 करोड़) में वृद्धि के कारण बढ़ गया जो पूँजीगत लेखे में ₹ 4 करोड़ की वसूली से प्रतिसंतुलित हो गया। कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में इसने वर्ष 2006-07 से वर्ष 2010-11 के दौरान विचलन-शील प्रवृत्ति दर्शाई जो वर्ष वर्ष 2006-07 में 20.52 प्रतिशत तथा वर्ष 2010-11 में 13.70 प्रतिशत था। यद्यपि पूँजीगत व्यय वर्ष 2007-08 में बढ़ गया लेकिन वर्ष 2008-09 व वर्ष 2009-10 में घट गया। चालू वर्ष के दौरान इसने गत वर्ष (2009-10) की अपेक्षा वृद्धि दर्शाई लेकिन राज्य सरकार द्वारा अपने मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण के लक्ष्य (₹2,200 करोड़) से काफी कम (₹1,855 करोड़) रहा।

व्यय के इन घटकों का सापेक्ष अंश हाल ही (2009-2011) में अपरिवर्तित रहा। गैर विकासात्मक समझे जाने वाले ब्याज भुगतानों सहित सामान्य सेवाओं पर व्यय का अंश वर्ष 2008-09 से वर्ष 2010-11 के दौरान लगभग स्थिर रहा। सामाजिक सेवाएँ का व्यय वर्ष 2009-10 के 41 प्रतिशत से थोड़ा घटकर वर्ष 2010-11 में 40 प्रतिशत हो गया। आर्थिक सेवाओं ने वर्ष 2006-07 से वर्ष 2010-11 की अवधि में विचलनशील प्रवृत्ति दर्शाई।





राज्य का राजस्व व्यय, 16 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से 2006-07 से 2010-11 के दौरान 79 प्रतिशत बढ़कर ₹ 6,477 करोड़ से ₹ 11,621 करोड़ हो गया। उक्त अवधि के दौरान राज्य का आयोजनेतर राजस्व व्यय (एन पी आर ई) 87 प्रतिशत बढ़ गया। चालू वर्ष के दौरान, एन पी आर ई में वृद्धि (₹ 791 करोड़) मुख्यतः वेतन (₹ 333 करोड़), पेंशन (₹ 95 करोड़), ब्याज अदायगियों, (₹ 142 करोड़) व स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान (₹ 83 करोड़) में वृद्धि के कारण थी।

राज्य के राजस्व व्यय में आयोजनागत राजस्व व्यय (पी आर ई) के अंश में वर्ष 2006-07 से वर्ष 2008-09 तक वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई लेकिन वर्ष 2009-10 से अनुगामी वर्षों में ह्रासोन्मुखी प्रवृत्ति रही। इसकी वृद्धि दर भी वर्ष 2008-09 तक उच्चोन्मुखी रही लेकिन वर्ष 2009-10 में ह्रासोन्मुखी हो गयी तथापि चालू वर्ष में यह थोड़ा बढ़ गई। चालू वर्ष के दौरान पी आर ई में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 173 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति (₹ 163.79 करोड़), सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार (₹ 122.63 करोड़), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 85.83 करोड़), ग्राम्य विकास (₹ 68.58 करोड़) तथा कृषि (₹ 45.55 करोड़) में व्यय वृद्धि के कारण थी। यह, जलापूर्ति एवं स्वच्छता (₹ 383.36 करोड़) में हुए ह्रास से प्रतिसंतुलित हुई।

पुनः वर्ष 2010-11 की अवधि के लिए नीचे तालिका 1.6 वास्तविक एन पी आर ई का राज्य सरकार के विभिन्न स्तरों पर किये गये अनुमानों के संदर्भ में ब्यौरा देती है।

तालिका-1.6 वर्ष 2010-11के अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक आयोजनेतर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)

आयोजनेतर व्यय	तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारण	राज्य सरकार द्वारा निर्धारण		
		राजकोषीय सुधार पथ	एम टी एफ पी एस	वास्तविक
	7,279	11,233	10,335	9,149

स्रोत: तेरहवें वित्त आयोग की प्रतिवेदन, वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन (उत्तराखण्ड शासन) व वित्त लेखे

चालू वर्ष के दौरान एन पी आर ई, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानकीय निर्धारण से ₹ 1,870 करोड़ (26 प्रतिशत) अधिक हो गया किन्तु यह राजकोषीय सुधार पथ और मध्यकालिक राजकोषीय नीति में राज्य सरकार द्वारा अनुमानित प्रक्षेपण से कम था।

1.4.2 वचनबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन और पारिश्रमिक पर व्यय, पेंशन और उपदान शामिल होते हैं। तालिका 1.7 और चार्ट 1.9 वर्ष 2006-11 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करते हैं।


तालिका-1.7: वचनबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

वचनबद्ध व्यय के घटक	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11		
					बजट आकलन	वास्तविक	भिन्नता का प्रतिशत
वेतन और पारिश्रमिक जिसमें	1,551	2,232	3,045 (35)	4,388(46)	4,612	4,721 (41)	(+) 2.36
आयोजनेतर शीर्ष	1,397	2,020	2,728	4,114	4,300	4,464	(+) 3.81
योजनागत शीर्ष*	154	212	317	274	312	257	(-) 17.63
ब्याज भुगतान	964	1,096	1,188 (14)	1,338(14)	1,579	1,480 (13)	(-) 6.27
पेंशन पर व्यय	527	623	828 (10)	1,047(11)	1,028	1,142 (10)	(+) 11.09
उपदान	42 (0.50)	42(0.44)	68	44	(-) 35.29
अन्य घटक	1,858	1,470	1,117	1,543	3,048	1,762	(-) 42.19
योग	4,900	5,421	6,220	8,358	10,335	9,149	(-) 11.48

कोष्ठक के आंकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत को इंगित करते हैं।

*केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वेतन एवं पारिश्रमिक भुगतान भी आयोजनागत शीर्ष में शामिल है।



टिप्पणी: उपदान राशि 2010-11 के दौरान नगण्य है।

वेतन एवं पारिश्रमिक

वेतन पर व्यय वर्ष 2008-09 में ₹ 3,045 करोड़ से 44 प्रतिशत (₹ 1,343 करोड़) बढ़कर वर्ष 2009-10 में ₹ 4,388 करोड़ हो गया था जो छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू करने के कारण था। यद्यपि वर्ष 2010-11 के दौरान वेतन पर व्यय केवल 7.59 प्रतिशत ही बढ़ा लेकिन वह फिर भी तेरहवें वित्त आयोग के अनुमानों से अधिक था और राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय सुधार पथ में निर्धारित लक्ष्य (₹ 4.612 करोड़) से काफी नीचे था।

तेरहवें वित्त आयोग के मानकों में नियत है कि वेतन मद के अन्तर्गत व्यय, राजस्व व्यय के ब्याज भुगतानों व पेंशन का शुद्ध 35 प्रतिशत होना चाहिए, जबकि चालू वर्ष में वेतन पर वास्तविक व्यय 52 प्रतिशत था।

पेंशन भुगतान

राज्य सरकार ने पेंशन दायित्वों का अनुमान ऐतिहासिक वृद्धि दर के आधार पर लगाया था न कि वास्तविकता के आधार पर। वर्ष 2010-11 में पेंशन पर व्यय ₹ 1,142 करोड़ था, जो राजस्व प्राप्ति का 9.84 प्रतिशत था। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2010-11 के दौरान पेंशन भुगतान 9.07 प्रतिशत तक बढ़ गया था। यह तेरहवें वित्त आयोग द्वारा प्रक्षेपित 10 प्रतिशत की दर के अन्दर था लेकिन चालू वर्ष के लिये तेरहवें वित्त आयोग (तेरहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन का अनुलग्नक 7.7) द्वारा निर्धारित लक्ष्य (₹ 1,098 करोड़) से भी अधिक था। राज्य सरकार ने भविष्य में बढ़ते पेंशन दायित्व से पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए एक अक्टूबर 2005 या उसके बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए एक अंशदायी पेंशन योजना भी लागू की है।

ब्याज भुगतान

जैसा कि तालिका 1.7 प्रदर्शित है, वर्ष 2006-11 की अवधि में ब्याज भुगतान पिछले ऋणों के कारण 54 प्रतिशत बढ़ गया था। वर्ष 2010-11 के दौरान ब्याज भुगतान में आन्तरिक ऋणों⁴ पर ब्याज (₹ 1,148 करोड़), अन्य देयताएं (₹ 21 करोड़) और लघु बचत, भविष्य निधि आदि (₹ 274 करोड़) शामिल थे। चालू वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान (₹ 1,480 करोड़) न केवल राजस्व प्राप्ति के 14 प्रतिशत से नीचे था बल्कि राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय सुधार पथ में निर्धारित लक्ष्य ₹ 1,528 करोड़ से भी नीचे था लेकिन यह ब्याज भुगतान चालू वर्ष के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा मापदण्ड निर्धारण (₹ 1,459.88 करोड़) से थोड़ा, अधिक (₹ 20 करोड़) था।

1.4.3 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

पिछले वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदान द्वारा प्रदत्त सहायता राशि तालिका-1.8 में प्रस्तुत है।

⁴ परिशिष्ट 4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

तालिका-1.8: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	
					ब आ	वास्तविक
शैक्षिक संस्थान (सहायता प्राप्त स्कूल, सहायता प्राप्त कालेज, विश्वविद्यालय आदि)	232.81	301.42	198.99	267.99	490.11	488.49
नगर निगम तथा नगरपालिकार्यें	96.63	110.93	106.20	122.47	198.96	154.72
जिला परिषद एवं अन्य पंचायती राज संस्थाएं	174.65	198.85	168.57	202.25	356.04	252.96
विकास अभिकरण	408.25	514.53	588.44	571.47	849.64	526.00
चिकित्सालय तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	40.69	28.69	38.89	44.52	96.81	71.23
ऊर्जा (उत्तराखण्ड विद्युत निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए उत्तराखण्ड विद्युत निगम)	100.61	134.52	69.79	24.39	7.57	7.50
कृषि शोध एवं शैक्षिक संस्थान भूमि सुधार करने हेतु भू-अभिलेखों का अद्यतनीकरण और वन्यजीव संरक्षण	146.39	153.67	217.73	98.62	134.63	151.15
सहकारिता	14.24	17.16	3.49	13.22	13.63	9.56
पशुपालन, दुग्ध विकास तथा मत्स्य पालन	10.74	14.53	31.51	14.79	18.79	13.16
सचिवालय आर्थिक सेवार्यें एवं पर्यटन	64.39	59.21	27.51	11.43	21.00	18.43
सामाजिक सुरक्षा एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	84.94	108.73	122.77	133.65	200.50	97.46
सरकारी कम्पनियों/सांविधिक निगम	-	-	-	13.41	-	--
अन्य संस्थाएं	38.17	39.34	85.46	357.83	79.20	131.61
योग	1,412.51	1,681.58	1,659.35	1,876.04	2,466.88	1,922.27
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	21.82	23.18	19.77	17.60	20.29	16.54

स्रोत: वी.एल.सी. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को प्रदत्त कुल सहायता में वर्ष 2006-07 से वर्ष 2010-11 की अवधि में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक संस्थाओं, विकास अभिकरणों को प्रदत्त सहायता राशि कुल वित्तीय सहायता का 53 प्रतिशत थी। इस वर्ष के दौरान वृद्धि, मुख्यतः शैक्षिक संस्थाओं (₹ 220.50 करोड़), कृषि (₹ 52.53 करोड़) तथा अस्पताल व अन्य धर्मार्थ संस्थाओं (₹ 26.71 करोड़) के अन्तर्गत थी जो ऊर्जा (₹ 16.89 करोड़), विकास अभिकरणों (₹ 45.47 करोड़) तथा अन्य संस्थाओं (₹ 226.22 करोड़) को दी गयी सहायता में कमी के कारण प्रति संतुलित हुई।

इसके अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग की प्रतिवेदन के अनुसार राज्य सरकार से अपेक्षित था कि वह पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों को 42.23: 57.77 के अनुपात में निधियों का आवंटन करे। राज्य सरकार द्वारा इन संस्थाओं को चालू वर्ष के दौरान 62.05: 37.95 के अनुपात में निधियाँ आवंटित की गईं। अतएव शहरी स्थानीय निकाय अपेक्षित निधियों के अभाव में सामाजिक दायित्वों की पूर्ति नहीं कर पाए।

1.5 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता सामान्यतया उसके व्यय की गुणवत्ता को दर्शाती हैं। व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूलतः तीन पहलुओं को समाहित करती है यथा, व्यय की पर्याप्तता (जैसे लोक सेवायें उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त प्रावधान); किये गये व्यय की दक्षता और प्रभावकारिता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय परिणाम सम्बन्धों का निर्धारण)।

1.5.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

तालिका 1.9 चालू वर्ष के दौरान विकासपरक व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय और पूँजीगत व्यय के सापेक्ष राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता को विश्लेषित करती है

तालिका-1.9: 2006-07 और 2010-11 के दौरान राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	स व्य/जी एस डी पी	वि व्य #/स व्य	सा क्षे व्य/स व्य	पूँ व्य/स व्य
उत्तराखण्ड का औसत (अनुपात) 2006-07	25.66	65.73	34.15	20.52
उत्तराखण्ड का औसत (अनुपात) 2010-11	25.96	65.32	39.92	13.70

स व्य : सकल व्यय, वि व्य : विकासपरक व्यय, सा क्षे व्य : सामाजिक क्षेत्र में व्यय
विकासपरक व्यय में विकासपरक राजस्व व्यय, विकासपरक पूँजीगत व्यय और वितरित ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।
स्रोत: (1) जीएस डी पी के लिए सूचना राज्य के अर्थ एवं संख्या निदेशालय से एकत्र की गयी थी। (परिशिष्ट-1.2 भाग अ)

राजकोषीय प्राथमिकता राज्य द्वारा श्रेणी विशेष के व्यय को दी गई प्राथमिकता को इंगित करती है। 2006-07 के सापेक्ष 2010-11 में व्यय पद्धति की तुलनात्मक अध्ययन पर पाया गया कि:

- राज्य सरकार ने 2006-07 की तुलना में 2010-11 में व्यय जी एस डी पी के अनुपात में अधिक व्यय किया है।
- सकल व्यय के अनुपात के रूप में विकासपरक व्यय (वि व्य) वर्ष के दौरान लगभग स्थिर रहा।
- सकल व्यय के अनुपात में सामाजिक क्षेत्र व्यय लगभग 6 प्रतिशत बढ़ा।
- सकल व्यय (स व्य) में पूँजीगत व्यय का अनुपात लगभग 7 प्रतिशत तक कम हुआ।

1.5.2 व्यय करने की दक्षता

सामाजिक और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास मर्दों पर लोक व्यय के महत्व के परिप्रेक्ष्य में, राज्य सरकार के लिए उचित व्यय औचित्यपूर्ण कदम उठाना तथा कोर पब्लिक एवं मेरि गुड्स⁵ के प्रावधान पर जोर देना महत्वपूर्ण हैं। विकासपरक व्यय⁶ हेतु आवंटन में सुधार के अतिरिक्त, आसन्न वर्षों में विशेषकर ऋण सेवाओं में गिरावट के कारण उत्पन्न

⁵ परिशिष्ट 4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

⁶ परिशिष्ट 4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

राजकोषीय अन्तराल के मद्देनजर, किये हुए व्यय की दक्षता पूँजीगत व्यय के कुल व्यय से अनुपात (और/अथवा जी एस डी पी) एवं विद्यमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के परिचालन एवं रखरखाव पर होने वाले राजस्व व्यय के समानुपात से भी परिलक्षित होता है। कुल व्यय (और/अथवा जी एस डी पी) में इन घटकों का अनुपात जितना उच्चतर होगा, उतना ही व्यय की गुणवत्ता को बेहतर करेगा। जहां, एक ओर तालिका 1.10 चालू वर्ष व गत वर्ष के दौरान बजटीय आवंटन की तुलना में राज्य के समग्र व्यय से सम्बन्धित विकास व्यय की प्रवृत्तियों को दर्शाती है, वहीं तालिका 1.11, चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के रखरखाव पर किये गये पूँजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय के घटकों का विवरण प्रस्तुत करती है।

कुल व्यय में विकासपरक राजस्व व्यय का अंश वर्ष 2006-11 की अवधि के दौरान 49 प्रतिशत की औसत दर पर अन्तर्वर्षीय विविधता प्रदर्शित करता है। विकासपरक पूँजीगत व्यय के अंश ने भी अन्तर्वर्षीय विविधता प्रदर्शित की लेकिन 2009-10 की तुलना में 2010-11 के दौरान थोड़ा बढ़ गया। तथापि, वर्ष 2006-07 से वर्ष 2010-11 की अवधि में समग्र विकासपरक व्यय में 63 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

तालिका-1.10: विकास परक व्यय

(₹ करोड़ में)

विकासपरक व्यय के घटक	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	
					ब आ	वास्तविक
विकासपरक व्यय (अ से स)	5,441 (66)	6,521 (67)	6,973 (66)	8,205 (66)	9,378 (66)	8,842 (65)
अ. विकासपरक राजस्व व्यय	3,828 (46)	4,290 (44)	5,015 (48)	6,638 (54)	7,332 (52)	7033 (52)
ब. विकासपरक पूँजीगत व्यय	1,526 (18)	2,034 (21)	1,842 (17)	1538 (12)	1,895 (13)	1750 (13)
स. विकासपरक ऋण एवं अग्रिम	87(1)	197 (2)	116 (1)	29 (0.23)	151 (1)	59 (0.44)
कोष्ठक के आंकड़े समग्र व्यय के प्रतिशत को इंगित करते हैं।						

तालिका-1.11: चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में किये गये व्यय की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक अवसंरचना	2009-10			2010-11		
	कु. व्य पर पूँ. व्य का अनुपात	रा व्य में अंश		कु व्य पर पूँ व्य का अनुपात	रा व्य में अंश	
		वे एवं पा	परि एवं मर		वे एवं पा	परि एवं मर
सामाजिक सेवाएं (सा से) मुख्य घटकों पर व्यय						
सामान्य शिक्षा	0.43	20.97	0.005	0.70	19.07	0.006
स्वास्थ्य एवं परिवार	0.34	3.43	0.021	0.54	3.89	0.036
कल्याण						
जलापूर्ति, स्वच्छता और आवासीय एवं शहरी विकास	0.04	0.064	0.012	0.20	0.048	.013
सा से पर कुल व्यय	0.88	25.57	0.05	1.74	24.22	0.07

आर्थिक सेवाएं (आ से) मुख्य घटकों पर व्यय						
कृषि एवं संबद्ध क्रिया कलाप	0.59	3.40	0.15	0.14	3.54	0.16
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	2.16	1.53	0.29	2.56	1.66	0.29
विद्युत एवं ऊर्जा	5.36	-	-	0.41	-	-
परिवहन	6.57	0.09	0.76	6.94	0.10	0.006
आ से पर कुल व्यय	11.58	6.52	0.30	11.19	6.71	0.46
सा से + आ से पर कुल व्यय	12.46	32.09	0.35	12.93	30.93	0.53

कु व्य: कुल व्यय, पूँ व्य: पूँजीगत व्यय, रा व्य: राजस्व व्यय, वे एवं पा: वेतन एवं पारिश्रमिक, परि एवं मर: परिचालन एवं मरम्मत।

यद्यपि, पूँजीगत व्यय के प्राथमिकीकरण से सम्बन्धित कोई विशेष मापदण्ड एफ आर बी एम अधिनियम में निर्धारित नहीं किये गये हैं, लेकिन राज्य सरकार ने वर्ष 2011-12 के बजट के साथ राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत अपने एम.टी.एफ.पी.एस. में तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के प्रति वचनबद्धता दर्शायी है जिनमें स्पष्ट है कि वर्ष 2012-13 में राजकोषीय घाटा जी.एस.डी.पी.का 3.5 प्रतिशत होगा और वर्ष 2013-14 तक इसे कम करके 3 प्रतिशत लाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार उधार कम लेगी तथा निकट भविष्य में पूँजीकरण हेतु निधियां कम होंगी। तथापि चालू वित्त वर्ष में सरकार ने वर्ष 2009-10 की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक निधियों के पूँजीकरण की व्यवस्था की।

वर्ष 2010-11 के दौरान, राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वेतन तथा पारिश्रमिक थोड़ा घटकर सामाजिक सेवाओं पर 1.35 प्रतिशत तथा आर्थिक सेवाओं पर बढ़कर 0.19 प्रतिशत हो गया। सामाजिक सेवाओं में राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में परिचालन एवं मरम्मत व्यय लगभग स्थिर था परन्तु आर्थिक सेवाओं में बढ़ गया।

1.5.3 व्यय की प्रभावकारिता, अर्थात् परिव्यय-परिणाम सम्बन्ध

परिव्यय-परिणाम सम्बन्ध को दर्शाते हुए निष्पादन समीक्षा का परिणाम अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सिविल प्रतिवेदन में सम्मिलित है। व्यय की प्रभावकारिता जैसा कि वर्ष 2010-11 में वर्ष 2006-11 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए प्रारंभिक शिक्षा विभाग की निष्पादन लेखापरीक्षा में स्पष्ट किया है, नीचे सारांशित है:

सर्व शिक्षा अभियान

सर्व शिक्षा अभियान की निष्पादन लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि राज्य में इसका क्रियान्वयन वांछित लक्ष्यों से काफी पीछे था। त्रुटिपूर्ण नियोजन, निधियों को अवमुक्त करने में विलम्ब/निधियों के अवमुक्तिकरण तथा कार्यदायी संस्थानों द्वारा निष्पादित विविध संबंधित कार्यक्रमों के खराब क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के कारण समस्त वर्षों में निधियों का कम उपयोग हुआ। प्राप्त निधियों के कम उपयोग के कारण योजना ₹ 239.47 करोड़ की कटौती से भी प्रभावित हुई। पुनः संबंधित संस्थाओं द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किये जाने,

लेखाओं में अग्रिम को व्यय के रूप में इन्द्राज किये जाने व वित्तिय वर्ष के अन्त में निधियों का अधिकतम वितरण किया जाना उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद द्वारा खराब वित्तिय प्रबन्धन को परिलक्षित करता है।

विद्यालयों में मूलभूत एवं अवसंरचनाओं सुविधाओं जैसे- पेयजल, शौचालय, विद्युत, रसोई इत्यादि की कमी के कारण भी सर्व शिक्षा अभियान प्रभावित हुआ। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (क गां बा वि) के छात्रावास भवनों के निर्माण असाधारण रूप से विलम्बित थे। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण में विलम्ब हुआ। विद्यालयों में भी अध्यापकों की कमी एवं असमानुपातिक तैनाती थी। सर्व शिक्षा अभियान में विविध कार्यक्रमों के निष्पादन में प्रभावी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तंत्र का अभाव था।

1.6 सरकारी व्यय एवं निवेशों का विश्लेषण

एफ आर बी एम लागू होने के उपरान्त राज्य से न केवल अपने राजकोषीय घाटे (व उधार) को निम्न स्तर पर रखने वरन् अपने पूँजीगत व्यय/निवेश की जरूरतों (ऋण एवं अग्रिम सहित) को वहन करने की भी अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भर होने के क्रम में, राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिफल अर्जित करने एवं ऋण से प्राप्त निधियों की लागत को अप्रत्यक्ष उपदान के रूप में अपने बजट से वहन करने के बजाय वसूल किये जाने तथा वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। यह खण्ड, पूर्व वर्षों के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेशों एवं अन्य पूँजीगत व्यय का मोटे तौर पर वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.6.1 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2011 को विभागवार अपूर्ण परियोजनाओं सम्बन्धी सूचना तालिका 1.12 में दी गयी है।

तालिका-1.12: अपूर्ण परियोजनाओं का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारम्भिक बजटीय लागत	परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत*	पुनरीक्षित आगणन में लागत वृद्धि	31 मार्च 2011 को संचयी वास्तविक व्यय
लोक निर्माण विभाग	76	212.20	239.67	27.47	62.80
सिंचाई	13	29.89	-	-	-
योग	89	242.09	239.67	27.47	62.8

* राज्य सरकार द्वारा 31.03.2011 तक किये गये अन्तिम पुनरीक्षण के अनुसार परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत को इंगित करता है।

स्रोत: वित्त लेखे

वित्त लेखे के परिशिष्ट 10 ने दर्शाया कि पूर्णता हेतु नियत 89 परियोजनाएँ 31 मार्च 2011 को अपूर्ण रही। इन अपूर्ण परियोजनाओं में पाँच लोक निर्माण विभाग की परियोजनाएँ थीं जिनकी आरंभिक बजट लागत ₹ 26.54 करोड़ थी लेकिन उनके आकलन संशोधित करके ₹ 54.01 करोड़ हो गए जिसमें ₹ 27.47 करोड़ की लागत वृद्धि शामिल थी।

1.6.2 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2011 को सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं (तालिका 1.13) में उत्तराखण्ड सरकार के निवेश पर विगत तीन वर्षों में औसत प्रतिफल 0.02 प्रतिशत था जबकि सरकार ने वर्ष 2008-09 से वर्ष 2010-11 के दौरान अपने ऋणों पर औसतन 7.58 प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतान किया।

तालिका-1.13: निवेश पर प्रतिफल

निवेश/प्रतिफल/ऋणों की लागत	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	
					ब.आ.	वास्तविक आंकड़े
वर्ष के अन्त तक निवेश (₹ करोड़ में)	762	1,005	1,071	1,240	137	1,296
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	0.16	0.53	0.23	0.07		0.21
प्रतिफल (प्रतिशत)	0.02	0.05	0.02	0.01		0.02
सरकारी ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	7.79	7.99	7.75	7.64		7.34
ब्याज दर और प्रतिफल के बीच अन्तर (प्रतिशत)	7.77	7.94	7.73	7.63		7.32

स्रोत: वित्त लेखे व वार्षिक वित्त विवरण (उत्तराखण्ड सरकार)

निवेश एवं प्रतिफल पर इस संदर्भ में, राज्य सरकार द्वारा कोई मानक निर्धारित नहीं किये गये हैं। इस प्रकार, मानक तैयार करने तथा कम वित्तीय परन्तु उच्च सामाजिक-आर्थिक लाभ से जुड़ी परियोजनाओं को चिन्हित करने की आवश्यकता है।

31 मार्च 2011 को उत्तराखण्ड शासन द्वारा निवेश के परिप्रेक्ष्य में 12 सरकारी कम्पनियों/निगमों में से, निवेश का ज्यादातर हिस्सा दो कम्पनियों यथा उत्तरांचल जल विद्युत निगम एवं ऊर्जा निगम निधि को प्राप्त हुआ जो क्रमशः ₹ 540 करोड़ एवं ₹ 631 करोड़ था। सरकारी कम्पनियों की ₹ 1,090 करोड़ की कुल संचित हानि मुख्य रूप से चार कम्पनियों, जैसे उत्तराखण्ड ऊर्जा निगम लिमिटेड (₹ 874 करोड़), उत्तराखण्ड परिवहन निगम (₹ 237 करोड़), डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड (₹ 73 करोड़) और किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (45 करोड़) द्वारा उठाये गये घाटे के कारण थी। तथापि तीन कम्पनियों अर्थात् उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड तथा उत्तराखण्ड पाँवर ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का संचित लाभ ₹ 433 करोड़ था।

1.6.3 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम

अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के क्रियाकलाप भी कतिपय सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों द्वारा भी निष्पादित किये जाते हैं। सरकार द्वारा किए गए निवेशों की उस वर्ष तक जिस वर्ष तक के प्रोफार्मा लेखे तैयार कर लिए गए हैं, विभागवार स्थिति, निवल लाभ/हानि के साथ-साथ इन उपक्रमों में निवेशित पूँजी का प्रतिफल परिशिष्ट-1.6 में दिया गया है। तीन कम्पनियों के अन्तिम लेखाओं की जाँच में यह पाया गया था कि:

- राज्य सरकार द्वारा सरकारी सिंचाई कार्यशाला, रूडकी में उस वित्तीय वर्ष के अन्त तक जब तक उसके लेखे तैयार (अर्थात् वर्ष 2009-10) कर लिए गये थे, ₹ 1.89 करोड़ का निवेश किया गया था।
- कुल तीन उपक्रमों, अर्थात् सिंचाई कार्यशाला, रूडकी, आर एफ सी, हल्द्वानी तथा आर एफ सी, देहरादून, में से केवल सिंचाई कार्यशाला के 2009-10 तक के लेखे तैयार थे। वर्ष 2007-08 तक यह लाभार्जन का उपक्रम था, परन्तु तत्पश्चात् शुद्ध हानि दर्ज की गयी। अन्तिम लेखे के अनुसार इन तीन विभागीय उपक्रमों की कुल संचित हानियाँ ₹ 46 करोड़ की थी।

1.6.4 राज्य सरकार के ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों तथा कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त, सरकार इन संस्थाओं/संगठनों में से अनेकों को ऋण एवं अग्रिम राशि भी उपलब्ध कराती रही है। तालिका-1.14, 31 मार्च 2011 को बकाया ऋण एवं अग्रिमों, पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्याज भुगतान के सापेक्ष ब्याज प्राप्ति को प्रदर्शित करती है।

तालिका-1.14: राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋण/ब्याज प्राप्ति/ऋण की लागत की मात्रा	2008-09	2009-10	2010-11	
			ब. आ.	वास्तविक आंकड़े
प्रारम्भिक शेष	709.79	777.87		743.09
वर्ष के दौरान दी गयी अग्रिम राशि	121.71	30.05	151	59.68
वर्ष के दौरान चुकता की गई राशि	53.63	64.83		84.87
अंतिम शेष	777.87	743.09		717.90
जिनमें से अदत्त बकाया, जिनकी शर्तें नियत की जा चुकी हैं	राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई			
निवल वृद्धि	68.08	(-) 34.78		(-) 25.19
ब्याज प्राप्ति	0.83	0.82		7.98
बकाया ऋणों एवं अग्रिम पर ब्याज प्राप्ति प्रतिशत	0.11	0.11		1.11
के रूप में				
राज्य सरकार के अदत्त राजकोषीय दायित्वों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान	7.30	7.14		6.85
ब्याज भुगतान और ब्याज प्राप्ति के बीच अंतर (प्रतिशत)	7.19	7.03		5.74

स्रोत: वित्त लेखे व वार्षिक वित्त विवरणी (उत्तराखण्ड सरकार)

सरकार ने वर्ष 2009-10 के ₹ 30 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 60 करोड़ ऋण दिये, जो कि पिछले वर्ष से ₹ 30 करोड़ अधिक थे।

बकाया ऋणों एवं अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्तियों ने वर्ष 2008-09 व वर्ष 2009-10 के दौरान लगभग स्थिर प्रवृत्ति दर्शायी लेकिन चालू वर्ष 2010-11 के दौरान बढ़ गई। वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उठाये गये बाजार ऋणों की औसत ब्याज दर 7.34 प्रतिशत थी, जबकि राज्य द्वारा दिये गये ऋणों और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज की दर 1.11 प्रतिशत थी।

बारहवें वित्त आयोग ने संस्तुति दी कि बकाया पड़े ऋणों एवं अग्रिमों पर कम से कम 7 प्रतिशत प्रतिफल पूर्वानुमानित अवधि के अन्तिम वर्ष (2009-10) तक श्रेणीबद्ध ढंग से प्राप्त किया जाना चाहिए, जिस लक्ष्य को राज्य सरकार वर्ष 2010-11 में भी प्राप्त नहीं कर पायी। 31 मार्च 2011 तक सरकार द्वारा दिये गये कुल ऋण ₹ 718 करोड़ थे। मुख्य लाभार्थी, ऊर्जा (₹ 370 करोड़) एवं कृषि (₹ 279 करोड़) क्षेत्र थे। उत्तराखण्ड विद्युत निगम और उत्तराखण्ड ग्रामीण विद्युतीकरण ऊर्जा निगम दोनों को प्रदत्त ऋण का अधिकांश मिलाकर ऊर्जा क्षेत्र के अन्तर्गत ₹ 307 करोड़ था। कृषि क्षेत्र के अधीन उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिलों को गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए ₹ 239 करोड़ ऋण के रूप में दिए गए थे।

1.6.5 रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश

तालिका 1.15, वर्ष के दौरान रोकड़ शेषों तथा राज्य सरकार द्वारा रोकड़ शेषों से किये गये निवेश को इंगित करती है।

तालिका-1.15: रोकड़ शेष और रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2010 को	31 मार्च 2011 को	वृद्धि(+)/ कमी(-)
रोकड़ शेष	538.91	1229.41	(+)690.50
रोकड़ शेष से निवेश (अ से द)
अ. भारत सरकार के ट्रेजरी बिल
ब. भारत सरकार की प्रतिभूतियां
स. अन्य प्रतिभूतियां, यदि कोई हो तो
विवरण दें			
द. अन्य निवेश
नैमित्तिक शेषों से निवेश का निधिबद्ध विवरण			
(अ से स)			
अ. ----	----	----	----
ब. i. सिकिंग फण्ड निवेश लेखा	753.65	878.62	(+) 124.97
ii. प्रत्याभूति विमोचन निधि	25.00	25.00	-
स. ----	----	----	----
ब्याज वसूली	9.44	13.78	(+) 4.34

स्रोत: वित्त लेखे

अन्तिम रोकड़ शेष गत वर्ष (₹ 538.91 करोड़) की अपेक्षा चालू वर्ष (₹ 1229.41 करोड़) के अन्त में ₹ 690.50 करोड़ बढ़ गया। राज्य सरकार ने रोकड़ शेष से ₹ 903.62 करोड़ की नैमित्तिक निधि सृजित की। यही राशि नैमित्तिक निधि से भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेशित की गई तथा वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 13.78 करोड़ का ब्याज अर्जित किया। वर्ष 2010-11 के दौरान रोकड़ शेष पर प्राप्त ब्याज 1.52 प्रतिशत था जबकि सरकार ने वर्ष के दौरान अपनी उधार राशियों पर 7.34 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया। 11 दिनों को छोड़कर, जिनके लिए सरकार को ओवरड्राफ्ट सुविधा का आश्रय लेना पड़ा, राज्य वर्ष 2010-11 के दौरान अधिकतम दिनों के लिए ₹ 0.16 करोड़ का न्यूनतम शेष बनाये रखने में समर्थ था। तथापि, वर्ष के दौरान रोकड़ प्रवाह में अस्थायी शेष ने सरकार को 93 अवसरों पर अर्थोपाय अग्रिम को प्राप्त करने के लिए मजबूर किया। वर्ष के दौरान राज्य को ₹ 0.95 करोड़ अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज के रूप में देना पड़ा।


1.7 परिसम्पत्तियां एवं दायित्व

1.7.1 परिसम्पत्तियों एवं दायित्व की संरचना एवं वृद्धि

विद्यमान सरकारी लेखापद्धति में, सरकारी स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियां जैसे भूमि एवं भवनों की विस्तृत लेखाबद्धता नहीं की जाती है। तथापि, सरकारी लेखे, सरकार के वित्तीय दायित्वों तथा किये गये व्यय द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं। परिशिष्ट-1.4 में 31 मार्च 2010 की समतुल्य स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2011 को ऐसे दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों का सार दिया गया है। इस परिशिष्ट में दायित्वों में मुख्यतः आन्तरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे एवं आरक्षित निधि से प्राप्तियां सम्मिलित हैं तथा परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा नकद शेष सम्मिलित हैं।

1.7.2 राजकोषीय दायित्व

राज्य के बकाया पड़े राजकोषीय दायित्व की प्रवृत्तियों को परिशिष्ट-1.3, परिशिष्ट-1.4 व राज्य वित्त लेखे के विवरण 6 में प्रस्तुत किया गया है तथापि, पिछले वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वर्ष के दौरान राजकोषीय दायित्वों की संरचना चार्ट 1.10 और 1.11 में प्रस्तुत की गई है।



ऋण-जी एस डी पी अनुपात वर्ष 2009-10 के 40 प्रतिशत के प्रति उच्चोन्मुखी होकर वर्ष के दौरान 41.42 प्रतिशत हो गया तथापि यह अनुपात तेरहवें वित्त आयोग के मापदण्ड निर्धारण (42.20 प्रतिशत) से नीचे था। समग्र राजकोषीय दायित्व वर्ष 2006-07 के ₹ 13,034 करोड़ से 66 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2010-11 में ₹ 21,598 करोड़ हो गये थे। राज्य के दायित्व जो वर्ष 2010-11 में ₹ 21,598 करोड़ के थे उसमें मुख्य रूप से लोक ऋण (₹ 15,984 करोड़), लघु बचत एवं भविष्य निधि (₹ 3,823 करोड़) और अन्य दायित्व (₹ 1,791 करोड़) शामिल थे। पिछले वर्ष 2009-10 की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय दायित्वों में वृद्धि मुख्यतः आन्तरिक ऋण तथा लघु बचत एवं भविष्य निधि आदि के कारण थी, जो क्रमशः ₹ 1,892 करोड़ एवं ₹ 870 करोड़ तक बढ़ गये थे। राजकोषीय दायित्वों में वृद्धि विभिन्न वर्षों में कम बढ़ी। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2010-11 में यह 15.20 प्रतिशत थी। वर्ष के दौरान जी एस डी पी के सापेक्ष इन दायित्वों में उत्प्लावकता 1.68 थी, जो यह इंगित करती थी कि जी एस डी पी में प्रत्येक प्रतिशत बिन्दु के लिए राजकोषीय दायित्व 1.68 प्रतिशत बढ़ गये थे। ये दायित्व राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 1.86 गुना एवं अपने संसाधनों का 4.25 गुना थे। राज्य में प्रारम्भ से ही खुले बाजार ऋणों की भुगतान वापसी के लिए सिंकिंग फण्ड चलन में है और राज्य सरकार को पिछले वर्ष के बकाया पड़े बाजार ऋणों के तीन प्रतिशत की दर से अंशदान करना है। तथापि, राज्य सरकार ने इस उद्देश्य हेतु देय ₹ 190 करोड़ के विरुद्ध इस वर्ष केवल ₹ 125 करोड़ का प्रावधान किया।

1.7.3 प्रत्याभूतियों-आकस्मिक दायित्वों का स्तर

प्रत्याभूतियां, उधार लेने वाले जिसके लिये प्रत्याभूति दी गयी है, के दोषी रहने पर राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक दायित्व हैं।

राज्य विधायिका द्वारा संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत उस अधिकतम सीमा के निर्धारणार्थ कोई भी कानून पारित नहीं किया गया, जिसके अन्तर्गत सरकार राज्य समेकित निधि की प्रतिभूति पर प्रत्याभूतियां दे सके। एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 में यह विहित है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रवृत्त होते समय विद्यमान, राज्य सरकार के किसी नियम या कानून के अन्तर्गत अथवा इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले किसी नियम या कानून द्वारा, निर्धारित सीमा से अधिक राशि पर प्रत्याभूति नहीं देगी। तथापि, प्रत्याभूतियों की सीमा तय करने के लिए राज्य सरकार ने अभी तक कोई कानून पारित नहीं किया है।

वित्त लेखे के विवरण संख्या 9 के अनुसार, अधिकतम राशि जिसके लिए राज्य द्वारा प्रत्याभूतियां दी गई थी तथा विगत तीन वर्षों में बकाया प्रत्याभूतियां तालिका-1.16 में दी गई हैं:

तालिका-1.16: उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूतियां	2008-09	2009-10	2010-11	
			ब आ	वास्तविक आंकड़े
प्रत्याभूति की अधिकतम राशि	125	125		
प्रत्याभूति की बकाया राशि	1,802	1,511		
कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रत्याभूति की अधिकतम राशि का प्रतिशत	20.87	15.93		
एफ आर बी एम अधिनियम/कोई अन्य अधिनियम अथवा राज्य के आदेश के अनुसार मानदण्ड	एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 के परिपालन में राज्य सरकार द्वारा कोई भी नियम नहीं बनाया गया है।			

स्रोत: वित्त लेखे

यद्यपि राज्य सरकार ने वर्ष 2010-11 के दौरान कोई प्रत्याभूति नहीं दी है लेकिन राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की कार्रवाई प्रारंभ करने की आवश्यकता है।

1.8 ऋण-वहन क्षमता

राज्य सरकार के ऋणों के विस्तार के अलावा राज्य की ऋण वहन क्षमता को निर्धारित करने वाले विभिन्न सूचकों का विश्लेषण किया जाना महत्वपूर्ण है। यह खण्ड, ऋण स्थिरीकरण, ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता, उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता, ब्याज भुगतानों का भार (राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतानों के अनुपात द्वारा मापित) और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता रूपरेखा के संदर्भ में राज्य सरकार की ऋण-वहन क्षमता का आकलन करता है। तालिका 1.17 वर्ष 2008-09 से आरम्भ करते हुए तीन वर्षों की अवधि हेतु इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण-वहन क्षमता का विश्लेषण करती है।

तालिका-1.17: ऋण वहन क्षमता : सूचक एवं प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

ऋण वहन क्षमता के सूचक ⁷	2008-09	2009-10	2010-11
ऋण स्थायित्विकरण ⁸ (मात्रात्मक विस्तार + प्राथमिक घाटा)	(+) 172	(-) 1,113	(+) 11
ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल) ⁹	(-) 99	(-)940	(+) 1,224
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता ¹⁰	164	261	820
ब्याजभुगतानों का भार (ब्याज भुगतान/रा प्रा अनुपात)	13.76	14.10	12.75

तालिका-1.17 की प्रवृत्तियाँ दर्शाती हैं कि वर्ष 2008-09 के दौरान मात्रा विस्तार के साथ-साथ प्रारम्भिक घाटा धनात्मक रहे किन्तु वर्ष 2009-10 में यह ऋणात्मक में बदल गया और चालू

⁷ परिशिष्ट 4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

⁸ परिशिष्ट 4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

⁹ परिशिष्ट 4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

¹⁰ परिशिष्ट 4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

वर्ष में कुछ चढ़ाव आया। ऋण-जी एस डी पी अनुपात वर्ष 2008-09 के 40.52 प्रतिशत से वर्ष 2009-10 में 40 प्रतिशत तक गिर गया और फिर वर्ष के दौरान उच्चोन्मुखी (41.42 प्रतिशत) हो गया। तथापि यह वर्ष 2010-11 के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा उत्तराखण्ड हेतु निर्धारित लक्ष्य (42.20 प्रतिशत) से कम रहा।

ऋण स्थायित्व और इसकी वहन क्षमता का दूसरा सूचक, बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों और बढ़ते हुए प्रारम्भिक व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्ति की पर्याप्तता है। ऋण-वहन क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से सुविधाजनक बनाया जा सकता था यदि बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्ति¹¹ बढ़ते हुए ब्याज भार और बढ़ते हुए प्रारम्भिक व्यय को पूरा कर सकती। एक धनात्मक संसाधन अंतराल राज्य के ऋणों को संभालने की क्षमता को मजबूत करता है। तालिका 1.17, वर्ष 2008-11 की अवधि हेतु परिभाषित संसाधन अंतराल को इंगित करती है। राज्य ने वर्ष 2008-09 व वर्ष 2009-10 में ऋणात्मक संसाधन अंतराल का अनुभव किया था लेकिन 2010-11 के दौरान यह धनात्मक हो गया जो बदले में राजस्व घाटे को लगभग शून्य (₹ 13 करोड़) तथा राजकोषीय घाटे को (₹ 1843 करोड़) तर्कसंगत सीमा में नीचे ले आया।


वर्ष 2006-10 की अवधि के दौरान ऋण छूट अनुपात तत्परता से बढ़े और वर्ष 2010-11 में थोड़ा सुधरे (0.83) जिससे यह इंगित होता है कि इस अवधि के दौरान पुरानी ऋण देयताओं को समाप्त करने के लिए ऋण निधियों को चुकता करने हेतु बढ़-चढ़ कर प्रयोग किया जा रहा है (परिशिष्ट-1.3)। चालू वर्ष के दौरान आन्तरिक ऋण छूट नई ऋण प्राप्ति का 67 प्रतिशत थी, भारत सरकार के ऋणों में छूट 144.55 प्रतिशत थी जबकि अन्य देयताओं के प्रकरण में चुकौतियाँ नयी प्राप्ति के 97.94 प्रतिशत थीं। यह प्रवृत्तियाँ इस तथ्य की ओर इंगित करती हैं कि सरकार का ध्यान पुरानी ऋण देयताओं की समाप्ति की ओर प्रतीत होता है।

राज्य की परिपक्वता रूप रेखा नीचे तालिका 1.18 एवं चार्ट 1.12 में प्रदत्त है।

तालिका 1.18: लोक ऋण की परिपक्वता रूप रेखा

परिपक्वता रूप रेखा	राशि (₹ करोड़ में)	कुल लोक ऋण पर प्रतिशतता
0-1 वर्ष	852	5.74
1-3 वर्ष	2,363	15.91
3-5 वर्ष	2,199	14.81
5-7 वर्ष	1,955	13.16
7 वर्ष से अधिक	7,481	50.38
योग	14,850	100

चार्ट-1.12: लोक ऋण की परिपक्वता रूप रेखा (₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त लेखे

¹¹ परिशिष्ट 4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।



व्यय-दायित्व के निर्वहन हेतु सरकार को और अधिक उधार लेना पड़ा क्योंकि विगत पाँच वर्षों में किसी भी वर्ष में राजकोषीय अधिशेष उपलब्ध नहीं था। 31 मार्च 2011 को लोक ऋण के बकाया स्टॉक की परिपक्वता रूप रेखा प्रदर्शित करती है कि 50 प्रतिशत लोक ऋण 7 वर्षों या अधिक की परिपक्वता में हैं।

1.9 राजकोषीय असंतुलन

तीन प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड-राजस्व, राजकोषीय एवं प्रारम्भिक घाटा-एक विशिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त में राजकोष के समस्त असन्तुलनों की सीमा को इंगित करते हैं। सरकारी लेखे में घाटा इसकी प्राप्ति और व्यय के मध्य के अन्तराल को प्रस्तुत करता है। घाटे की प्रकृति, सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन के विवेक का एक सूचक है। पुनः किस तरह घाटे का वित्त पोषण किया जाता है और जुटाए गये संसाधनों को प्रयुक्त किया जाता है, यही इसके राजकोषीय स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण सूचक है। यह खण्ड, इन घाटों की प्रवृत्तियों, प्रकृति, परिमाण एवं वित्त पोषण के ढंग तथा एफ आर बी एम अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु निर्धारित किये गये लक्ष्यों के सापेक्ष राजस्व एवं राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों के आंकलन को भी प्रस्तुत करता है।

1.9.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.13 एवं 1.14, 2006-07 से 2010-11 तक की अवधि में घाटे के सूचकों की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं।



उत्तराखण्ड ने 2006-07 से 2008-09 तक राजस्व अधिशेष का अनुभव किया जो 2009-10 में मुख्यतः छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के कार्यान्वयन से घाटे में बदल गया। तथापि राज्य चालू वित्त वर्ष के दौरान राजस्व घाटे को लगभग शून्य (₹ 13 करोड़) तक नीचे लाने में कामयाब रहा। राजकोषीय घाटा वर्ष 2009-10 में उच्चोन्मुखी था और एफ.आर.बी.एम.अधिनियम, 2005 में निर्धारित चार प्रतिशत से उपर (जी.एस.डी.पी.का 5.82 प्रतिशत) था। यह चालू वर्ष के दौरान निम्नोन्मुखी भी होकर जी.एस.डी.पी.का 3.5 प्रतिशत रहा। यद्यपि तेरहवें वित्त आयोग ने इसे समायोजन वर्ष की अनुमति देकर 2010-11 के लिए कोई निर्धारण नहीं किया है लेकिन तब भी राज्य राजकोषीय घाटा 3.5 प्रतिशत बनाए रखने में कामयाब रहा।

वर्ष 2007-09 तक कुछ नियन्त्रण में रहने वाले प्राथमिक घाटे ने 2009-10 (₹ 1,445 करोड़) में मात्रात्मक उछाल लिया था और चालू वर्ष में नीचे (₹ 363 करोड़) आ गया।

1.9.2 राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त-पोषण पद्धति

राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति में एक संरचनात्मक बदलाव हुआ जैसा कि तालिका 1.19 में परिलक्षित है।

तालिका-1.19: राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त पोषण पद्धति

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
राजकोषीय घाटे का विघटन						
1	राजस्व घाटा/अधिशेष(+)	(+) 896	(+) 636	(+) 241	1,171	13
2	पूँजीगत व्यय	1,699	2,235	2,016	1,647	1855
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	(+) 82	(+)145	(+) 68	(-) 35	(-) 25
राजकोषीय घाटे की वित्त-पोषण पद्धति*						
1	बाजार ऋण	319	733	884	460	890
2	भारत सरकार से ऋण	(-) 9	(-) 16	(-) 19	(-)5	16
3	एन एस एस एफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	580	195	120	672	921
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	101	213	204	70	182
5	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	88	155	531	1,066	870
6	जमा एवं अग्रिम	175	142	61	229	46
7	उचन्त एवं विविध	(-) 491	138	(-) 331	722	(-) 331
8	प्रेषण	35	85	(-) 238	(-)129	(-) 303
9	अन्य	87	99	631	(-)302	(-) 448
10	कुल अधिशेष/घाटा	885	1,744	1,843	2,783	1,843

स्रोत: वित्त लेखे

राजस्व घाटे ने, जो 2006-07 में अधिशेष में परिवर्तित हुआ, बढ़ना जारी नहीं रखा अपितु उतार की प्रवृत्ति दिखाई और अंतिम रूप से 2009-10 में राजस्व घाटे में बदल गया जो राजस्व व्यय के अधिक बढ़ने के कारण था जिससे राजकोषीय घाटा भी परिवर्धित हो गया। तथापि राज्य चालू वर्ष में राजस्व घाटे को कम करके लगभग शून्य (₹ 13 करोड़) तक लाने में कामयाब रहा। राजकोषीय घाटा (₹ 1,843 करोड़) बड़ी मात्रा में बाजार की उधारियों (₹ 890 करोड़) और एन. एस. एस. एफ. को जारी विशेष प्रतिभूतियों (₹ 3,823 करोड़) से प्रबन्धित किया गया। यद्यपि, वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में वृद्धि (13 प्रतिशत) हुई तो भी, राजकोषीय घाटे को तर्कसंगत सीमा अर्थात् जी. एस. डी. पी. के 3.5 प्रतिशत तक नीचे लाया गया।

1.9.3 घाटे/अधिशेष की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का अनुपात और प्राथमिक राजस्व घाटा एवं पूँजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिमों सहित), राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता के सूचक होंगे। राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का अनुपात उस सीमा को इंगित करता है जहाँ तक वर्तमान उपभोग के लिये ऋण निधियों का उपयोग किया गया था। पुनः राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का सतत् उच्च अनुपात यह भी दर्शाता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार निरंतर कम हो रहा था और ऋणों (राजकोषीय दायित्व) के अंश परिसम्पत्तियों द्वारा समर्थित नहीं थे। प्राथमिक घाटे का विभाजन (तालिका 1.20) उस सीमा को इंगित करेगा जहाँ तक घाटा पूँजीगत व्यय में वृद्धि के कारण रहा है जो राज्य अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिये वांछनीय हो सकता है।

तालिका-1.20: प्राथमिक घाटा/अधिशेष-संघटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ऋणोत्तर प्राप्तियां*	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	कुल प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-) /अधिशेष (+)	प्राथमिक घाटा (-) /अधिशेष (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2006-07	7,393	5,513	1,699	102	7,314	(+) 1,880	(+) 79
2007-08	7,959	6,159	2,235	213	8,607	(+) 1,800	(-) 648
2008-09	8,689	7,206	2,016	122	9,344	(+) 1,483	(-) 655
2009-10	9,551	9,319	1,647	30	10,996	(+)232	(-) 1,445
2010-11	11,693	10,141	1,855	60	12,056	(+) 1,552	(-) 363

* लोक ऋण प्राप्तिओं से इतर प्राप्तियां अर्थात् ऐसी प्राप्तियां जिन्हें वापस नहीं किया जाता है

- ऋणोत्तर प्राप्तियाँ 2006-07 से 2010-11 तक 58.16 प्रतिशत बढ़ी और प्राथमिक राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। तथापि, अन्तराल जो 2009-10 में काफी कम हो गया था वह चालू वर्ष में पुनः उच्च हो गया।

- कुल प्राथमिक व्यय में 2006-07 की तुलना में 2010-11 के दौरान ₹ 4,742 करोड़ की वृद्धि हुई जो कि उसी अवधि में ₹ 4,628 करोड़ की सीमा तक प्राथमिक राजस्व व्यय की वृद्धि के कारण थी।
- 2009-10 में प्राथमिक राजस्व अधिशेष पिछले वर्ष की तुलना में 84.36 प्रतिशत गिर गया और पुनः उसने वर्ष के दौरान तीव्र उच्चोन्मुखी प्रवृत्ति दर्शाई।

1.10 निष्कर्ष

पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में ₹ 2,122 करोड़ (22.37 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः केन्द्रीय अन्तरण (₹ 910 करोड़), राज्य के अपने कर राजस्व (₹ 846 करोड़) व सहायता अनुदान (₹ 319 करोड़) में बढ़ोत्तरी के कारण थी। सरकार को अपने राजस्व संग्रहण में सुधार लाने की आवश्यकता है, जैसा कि वर्ष 2010-11 के अंत में राजस्व बकाया ₹ 1,250 करोड़, (वन राजस्व को छोड़कर) हो गए जिसमें से ₹ 255 करोड़ (20 प्रतिशत) पांच वर्ष से अधिक अवधि के थे।

राज्य की व्यय पद्धति उदघाटित करती है कि कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय चालू वर्ष में बढ़ा तथा सम्पतियां सृजन के लिए अपर्याप्त स्रोतों को छोड़ते हुये करीब 86 प्रतिशत रहा। आयोजनेतर राजस्व व्यय (एन पी आर ई) में विगत वर्ष की तुलना में 9.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 2010-11 के दौरान वेतन पर व्यय 52 प्रतिशत था और एन पी आर ई के एक बड़े अंश को खपत करने की निरंतरता बनाए रहा। वर्ष 2010-11 में पेंशन भुगतान पर व्यय ₹ 1,142 करोड़ था जो राजस्व प्राप्तियों का 9.84 प्रतिशत था। पेंशन भुगतान में 2010-11 के दौरान गत वर्ष की तुलना में 9.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह तेरहवें वित्त आयोग द्वारा, आकलित 10 प्रतिशत की दर के अन्दर था लेकिन चालू वर्ष हेतु तेरहवें वित्त आयोग द्वारा मापदण्डीय निर्धारण से उच्च था (तेरहवें वित्त आयोग की प्रतिवेदन का अनुलग्नक 7.7)। राज्य को आयोजनेतर राजस्व व्यय के घटकों को नियंत्रित करने के लिए उपाय ढूंढने चाहिए तथा ब्याज कटौती के लिए आवश्यकता पर आधारित उधार पर आश्रित रहना चाहिए।

गत वर्ष की तुलना में 2010-11 में राज्य के पूँजीगत व्यय में ₹ 208 करोड़ (प्रस्तर 1.4.1) की वृद्धि हुई जो मुख्यतः (i) सामाजिक सेवाएँ (ii) आर्थिक सेवाएँ में वृद्धि के कारण थी। कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय ने वर्ष 2006-07 से वर्ष 2010-11 की अवधि में विचलनशील प्रवृत्ति दर्शाई जो वर्ष 2006-07 में 20.52 प्रतिशत व वर्ष 2010-11 में 13.70 प्रतिशत थी। चालू वर्ष में इसने पिछले वर्ष के सापेक्ष वृद्धि दर्शाई लेकिन राज्य सरकार द्वारा अपने मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण में निर्धारित लक्ष्य (₹ 2,200 करोड़) से काफी नीचे (₹ 1855 करोड़) ही रहा।

विकासपरक पूँजीगत व्यय के अंश ने भी अन्तर्वर्षीय भिन्नता दर्शाई लेकिन वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2010-11 के दौरान थोड़ा सा बढ़ गया तथापि समग्र विकासपरक व्यय वर्ष 2006-07 से वर्ष 2010-11 की अवधि के दौरान 63 प्रतिशत बढ़ गया।

सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं में उत्तराखण्ड सरकार के निवेश पर पिछले तीन वर्षों में औसत प्रतिफल लगभग नगण्य था जबकि सरकार ने वर्ष 2008-09 से वर्ष 2010-11 तक अपने ऋणों पर औसतन 7.58 प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतान किया।

राज्य ने वर्ष 2006-07 से वर्ष 2008-09 तक राजस्व अधिशेष अनुभव किया जो वर्ष 2009-10 में मुख्यतः छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के कार्यान्वयन के कारण घाटे में बदल गया तथापि राज्य चालू वित्त वर्ष में राजस्व घाटे को लगभग शून्य (₹ 13 करोड़) तक लाने में कामयाब हो गया। वर्ष 2009-10 में उच्चोन्मुखी राजकोषीय घाटा एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2005 (परिशिष्ट 1.2 भाग 2 ब) में यथानिर्धारित चार प्रतिशत से अधिक (जी.एस.डी.पी. का 5.82 प्रतिशत) था। यह चालू वर्ष के दौरान निम्नोन्मुखी भी होकर जी.एस.डी.पी. का 3.5 प्रतिशत रहा। यद्यपि तेरहवें वित्त आयोग ने इसे समायोजन वर्ष की अनुमति देकर वर्ष 2010-11 के लिए कोई निर्धारण नहीं किया है लेकिन तब भी राज्य राजकोषीय घाटा 3.5 प्रतिशत बनाए रखने में कामयाब रहा।

वर्ष 2010-11 के अंत में राज्य के रोकड़ शेष में ₹ 690.50 करोड़ की वृद्धि हुई और भारतीय रिजर्व बैंक में नकद शेषों के निवेश व भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश पर प्राप्त ब्याज मात्र 1.52 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 7.34 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर ऋण लिये। चालू वर्ष में 11 अवसरों पर राज्य को ओवर ड्राफ्ट सुविधा का सहारा लेना पड़ा।

ऋण- जी.एस.डी.पी. अनुपात ने वर्ष 2009-10 के 40 प्रतिशत के सापेक्ष 41.42 प्रतिशत होकर इस वर्ष उच्चोन्मुखी प्रवृत्ति दर्शाई। यद्यपि अनुपात तेरहवें वित्त आयोग के चालू वर्ष हेतु मापदण्डीय निर्धारण (42.20 प्रतिशत) से कम था। प्राथमिक अधिशेष की स्थिति को बनाये रखने की प्रयत्न किये जाने चाहिये। वित्तीय वर्ष के अन्तिम समय में जमाव से बचने के लिये, ऋणों का विवरण बनाना तथा ऋण भुगतानों की परिपक्वता की रूपरेखा की स्पष्ट समझ, विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन में दीर्घकालिक लाभ देगी।

वर्ष 2010-11 के दौरान, ₹ 1,918 करोड़ की एक बड़ी धनराशि सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को अन्तरित की गयी। तथापि, इन निधियों को राज्य बजट/राजकोष पद्धति के माध्यम से नहीं दिया गया। जिस समय तक यह निधियाँ राज्य बजट के बाहर रहती हैं, इनके उपयोग का अनुश्रवण करने के लिये एक भी अभिकरण नहीं है और तत्काल रूप से उपलब्ध कोई ऐसे आंकड़े नहीं हैं कि किसी विशेष वर्ष में प्रमुख झण्डारोही योजनाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं में वास्तव में कितना व्यय हुआ है।